

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 25/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-मेंहनगर- किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 आरोपी गिरफ्तार-

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 20.01.2025 वादिनी मुकदमा द्वारा थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 19/01/25 को मेरी नाबालिक लड़की के साथ विपक्षी हिमान्शु सिंह s/o अमरनाथ सिंह पता बेनुपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा गलत काम किया गया तथा विपक्षी द्वारा गाली और जान से मारने की धमकी दिया गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 29/2025 धारा 64/352/351(3) BNS & 5M/6 POCSO ACT थाना मेंहनगर आजमगढ़ बनाम हिमान्शु सिंह s/o अमरनाथ सिंह पता बेनुपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -

दिनांक 21.01.2025 को प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 29/2025 धारा 64/352/351(3) BNS & 5M/6 POCSO ACT में वांछित अभियुक्त हिमांशु सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी ग्राम बेनुपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 12.00 बजे जिगनी चौराहे से पुलिस हिरासत में लिया।



02.थाना जहानागंज- किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में -

पूर्व की घटना-

दिनांक 19.01.25 को वादी द्वारा थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 13.01.25 को एक बाल अपचारी मेरी नाबालिक लड़की द्वारा रास्ते में रोक कर छेड़खानी करना और अश्लील बातें करना व पीड़िता को धमकाना की किसी को बताओगी तो तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा और जला दूंगा के सम्बन्ध में पर मु0अ0सं0-15/2025 धारा -74/296/352/351(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शिवम त्यागी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 21.01.25 को उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक बाल अपचारी थाना जहानागंज आजमगढ़ को धनहुआ रोड एसकेडी ब्रीक्स फैक्ट्री के पास से समय करीब 08.40 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

03.थाना अतरौलिया- किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण –

दिनांक 16.01.25 को वादी मुकदमा थाना-अतरौलिया, जनपद-आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 15.01.25 को विपक्षी आकाश कन्नौजिया पुत्र गजानन्द कन्नौजिया नि0 कन्तालपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष द्वारा समय 9.00 बजे सुबह वादी की पुत्री उम्र 16 वर्ष के साथ छेडछाड किया गया, के संबंध मे थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 10/25 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम आकाश कन्नौजिया पुत्र गजानन्द कन्नौजिया निवासी ग्राम कन्तालपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है । दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 74 बीनएसएस व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट को धारा 64/351(2) बीएनएस व 3/ 4 पाक्सो एक्ट में तरमीम / बढोत्तरी किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 21.01.2025 को उ0नि0 विनय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित से वांछित आकाश कन्नौजिया पुत्र गजानन्द कन्नौजिया नि0 कन्तालपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को सौ शैया हास्पिटल के पास हाइवे से समय 07.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है ।



04. थाना जहानागंज- अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 20.01.25 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान परदेशी मोड़ से अभियुक्त मक्कल यादव पुत्र स्व0 पूजन यादव निवासी तरछा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष को एक झोले में 2.1 किलोग्राम नाजायज गाँजा व 280 रूपया के साथ समय 20.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना जहानागंज पर मु0अ0स0 21/25 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 21/25 धारा 8/20 NDPS Act थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 427/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0स0 550/2006 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0स0 21/25 धारा 8/20 NDPS Act थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:

01. मक्कल यादव पुत्र स्व0 पूजन यादव निवासी तरछा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक झोले में 2.1 किलोग्राम नाजायज गाँजा व 280 रूपया बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
2. उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
3. हे0का0 प्रमोद यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
4. का0 मुकेश शाह थाना जहानागंज आजमगढ़



05.थाना सरायमीर- किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना –

दिनांक 18.01.2025 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी जव्वाद उर्फ सालिम उर्फ बेलाल पुत्र शौकत निवासी नई बाजार, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष द्वारा वादी की लड़की से साथ छेड़खानी की गयी है, के सम्बन्ध में, मु0अ0सं0- 16/2025 धारा 74,351(2) BNS व 7/8 पास्को एक्ट थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.01.2025 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जव्वाद उर्फ सालिम उर्फ बेलाल पुत्र शौकत निवासी नई बाजार, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को खरेवा मोड़ से समय करीब 09.45. बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

